


प्रश्न सं. [क. 1645]

विधान सभा प्रश्न क्र. 1645 अतारांकित

क्र.	निकाय का नाम	विगत दो वर्षों में कुल नामांतरण प्रकरणों की संख्या	निरकृत नामांतरण प्रकरण संख्या	लम्बित नामांतरण प्रकरण संख्या	प्रकरण लम्बित रखने का कारण	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर परिषद खिलचीपुर	630	382	248	133 प्रकरण में निकाय द्वारा विज्ञापि का प्रकाशन किया जाकर सक्षम स्थीरता हेतु प्रयत्नित है। 83 प्रकरण विज्ञापि का प्रकाशन किया जा रहा है। समयावधि पूर्ण होने पर निराकरण किया जावेगा 32 प्रकरणों में दस्तावेजों की कमी एवं न्यायलीन प्रकरण होने से लम्बित है।	
2	नगर परिषद जीरपुर	225	210	15	15 नामांतरण प्रकरण दस्तावेज पूर्ण नहीं होने के अभाव से लम्बित है।	
3	नगर परिषद माचलपुर	262	198	64	(1) 24 प्रकरण अपूर्ण दस्तावेज एवं आदेक द्वारा राशि जमा नहीं करने के कारण लम्बित है। (2) 40 प्रकरण माह फरवरी 2022 में प्राप्त होने से नामांतरण करने की कार्यवाही प्रचलित है। जिसमें इश्तहार की अवधि 30 दिन पूर्ण नहीं हुये है। इस कारण प्रकरण लम्बित है। अवधि पूर्ण होने के पश्चात उक्त प्रकरणों का निराकरण कर दिया जावेगा।	
4	नगर परिषद छापीहडा	185	92	93	27 प्रकरण प्रशासक महो. के हस्ताक्षर की प्रत्याशा में तथा 66 प्रकरण राजस्व टैक्स जमा नहीं करने के कारण लम्बित है।	
	योग	1302	882	420		


 संयुक्त सचिवालय
 नगरीय प्रशासन एवं विकास
 शोपल संभाग शोपल

 ०२



 अधिकारी
 भूमि प्रदेश शासन एवं
 सम्यापन प्रशासन संचालन
 नगरीय विभाग (म.प्र.)
 शोपल संभाग शोपल